### न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी चन्देरी जिला—अशोकनगर म०प्र०

दांडिक प्रकरण क-310/2012 संस्थित दिनांक- 07.08.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र पिपरई जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियोजन

#### विरुद्ध

- 1- नथन सिंह पुत्र गोविंद सिंह लोधी उम्र 33 साल निवासी ग्राम लिधौरा
- 2- चन्द्रभान सिंह पुत्र गोविंद सिंह लोधी उम्र 43 साल निवासी सदर
- 3- सुगर सिंह पुत्र गोविंद सिंह लोधी उम्र 27 साल निवासी सदर सभी निवासीगण जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

# —: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 10.01.2018 को घोषित)</u>

- 01—अभियुक्तगण के विरूद्ध भा०द०वि० की धारा 324, 323/34 के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 21.06.2012 को 19:00 बजे फरियादी हिर को उपहित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी हिर के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की तथा साथ ही दांतो से काटकर स्वेच्छया उपहित कारित की।
- 02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक—21.06.2012 को नथन, चंद्रभान, सुगर लोधी आये और हरी आदिवासी से कहने लगे कि यहां क्यों काम कर रहे हो, खेत पर हमारा केश चल रहा है, हिर ने कहा कि वह मजूदरी से काम कर रहा है, इसी बात पर से तीनों ने हिर की लाठी से मारपीट कर दी, जिससे बाये पैर के पंजे, पीठ में जगह जगह मुंदी चोट आई, चंद्रभान ने पीठ में दांतों से काट लिया, घटना स्थल पर खिलन मौजूद था, जिसने घटना देखी, रात होने के कारण हिर ने उक्त दिनांक को रिपोर्ट करने नहीं आया, फरियादी हिर

(2)

आदिवासी ने घटना दिनांक के अगले दिन ही पुलिस थाना पिपरई में अभियुक्तगण के विरूद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई, जो पुलिस थाना चंदेरी के अदम चैक कमांक—341/12 के तहत लेखबद्ध की गई, फरियादी हिर आदिवासी का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। चिकित्सीय परीक्षण में हिर आदिवासी को दांतों से उपहित पाये जाने पर पुलिस थाना पिपरई के द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध असल अपराध की कायमी कर उनके विरूद्ध अपराध कमांक—113/2012 अंतर्गत भा0दं0वि0 धारा—324, 323, 34 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03—अभियुक्तगण को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उन्होंने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं० में कहना है कि वह निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है।

#### 04-प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

1.	क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 21.06.2012 को 19:00 बजे फरियादी हरि को दांतों से काटकर पीठ में उपहति कारित की ?
2.	क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने फरियादी हरि को उपहति करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी हरि के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
3.	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

## <u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

## विचारणीय प्रश्न कमांक 1, 2 व 3 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—

05— सुविधा की दृष्टि से एवं प्रकरण में आई साक्ष्य की पुर्नावृत्ति को रोकने के लिये उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों का विवेचन एक साथ किया जाकर निष्कर्ष दिया जा रहा है। अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में फरियादी हिर (अ०सा0—3) सिहत घटना के प्रत्यक्ष दर्शी साक्षी के रूप में खिलन रजक (अ०सा0—1) भाव सिंह (अ०सा0—2) के कथन न्यायालय में कराये गये है तथा उपरोक्त साक्षियों के अलावा घटना को प्रमाणित करने के लिये चिकित्सीय साक्षी डॉक्टर प्रशांत दुबे (अ०सा0—5) एवं अनुसधानकर्ता अधिकारी आर0 एल0 वर्मा (अ०सा0—4) के कथन न्यायालय में कराये गये। बचाव पक्ष की ओर अपने समर्थन में अभियुक्त चंद्रभान (ब०सा0—1) के कथन बचाव साक्षी के रूप में कराये गये है तथा अभियुक्तर नथन के द्वारा प्रस्तुत व्यवहार वाद क्रमांक 164ए/10 के दावे की सत्यप्रतिलिपि सिहत नथन के द्वारा ही दिनांक 25.06.2012 को पुलिस थाना पिपरई में की गई रिपोर्ट के आधार पर दर्ज अपराध क्रमांक 118/12 के अभियोगपत्र की सत्यप्रतिलिपि अपने समर्थन में प्रस्तुत की है।

- 06— फरियादी हिर (अ०सा0—3) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि वह तीन चार साल पहले ग्राम कुकरेठा में शाम 07:00 बजे धर्मेंद्र का टैक्टर चला रहा था, तो आरोपीगण ने आकर उसका कोलर पकड लिया और थप्पडों से मारपीट कर दी तथा अभियुक्त नथन ने उसकी कमर में पीछे दांतों से काट लिया। फरियादी हिर (अ०सा0—3) ने अपने मुख्यपरीक्षण मे विवाद का कारण एवं विवाद का स्थान भले ही स्पष्ट नही किया, परन्तु प्रतिपरीक्षण में फरियादी ने यह स्पष्ट किया है कि उसे बचपन से ही सुखदेव और पूरन सिंह ने पाला है, तथा झगडा भी पूरन सिंह के खेत पर हुआ था और आरोपीगण का पहले से ही सुखदेव सिंह, पूरन सिंह व धर्मेंद्र से झगडा चल रहा था।
- 07— बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्त चंद्रभान (ब0सा0—1) का अपने कथनों में प्रतिरक्षा स्वरूप यह कहना है कि उसका फिरयादी हिर से कोई झगडा नही हुआ, बिल्क उनका जमीनी विवाद जितेन्द्र, सहदेव, पूरन सिंह व रघुवीर से चल रहा है जिसके संबंध में प्रदर्श—डी 1 का दावा उसके भाई ने न्यायालय में पेश किया है। वही इन्ही लोगों के विरुद्ध उसके भाई ने मारपीट की रिपोर्ट की थी। जिसके अभियोग पत्र की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श—डी 3 प्रकरण में प्रस्तुत की है। चंद्रभान (ब0सा0—1) की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेज साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि फिरयादी घटना दिनांक को जिस खेत पर काम करने के दौरान अभियुक्तगण के द्वार मारपीट करने की घटना बता रहा है, उक्त भूमि के संबंध में अभियुक्तगण तथा सुखदेव, पूरन आदि के मध्य पूर्व से विवाद चल रहे है जिसके संबंध में अभियुक्त पक्ष के द्वारा सुखदेव आदि के विरुद्ध दीवानी एवं फौजदारी प्रकरण भी कायम कराये गये है।
- 08— फरियादी हरि (अ0सा0—3) का कहना है कि वह घटना के समय पूरन सिंह के खेत पर शाम 07:00 बजे धर्मेद्र का टैक्टर चला रहा था अर्थात् वह धर्मेद्र आदि

के लिये उनकी भूमि पर कृषि कार्य कर रहा था। अतः स्पष्ट है कि जमीन के विवाद को लेकर अभियुक्तगण व धर्मेंद्र आदि के मध्य पूर्व की रंजिश थी, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि मात्र पूर्व की रंजिश स्थापित होने से यह निष्कर्ष नहीं निकला जा सकता है कि फरियादी हिर जो विवादित भूमि पर कृषि कार्य कर रहा था, ने अभियुक्तगण को झूठ फंसाया है। फरियादी हिर सिंह (अ०सा0—3) का अभियुक्तगण से स्वयं का कोई व्यक्तिगत विवाद था, ऐसा कहीं भी अभियुक्तगण का कहना नहीं है।

- 09— फरियादी हिर (अ०सा0—3) के द्वारा भले ही घटना का दिनांक व सन स्पष्ट नहीं किया था, जो कि ग्रामीण परिवेश होने के कारण उससे बताये जाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती हैं। फरियादी ने इस संबंध में अखिण्डित साक्ष्य दी है कि विवाद पूरन सिंह आदि के खेत पर हुआ था तथा उक्त विवाद उसके कथन देने के दिनांक से तीन चार वर्ष पूर्व शाम 07:00 बजे जब वह खेत पर कार्य कर रहा था, तब हुआ था। उक्त घटना की पुष्टि घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भाव सिंह (अ०सा0—2) ने अपने कथनों में की है तथा भाव सिंह (अ०सा0—2) का कहना है कि घटना के समय उसने आरोपीगण व फरियादी हिर (अ०सा0—3) की दूर से चैटाचाटी होती हुई देखी थी, उस समय वह टैक्टर से खेती का सामान लेकर पूरन व सुखदेव के खेत पर गया था।
- 10— फरियादी हिर सिंह (अ०सा0—3) ने हालांकि अपने प्रतिपरीक्षण में यह कथन दिये है कि भावसिंह घटना के समय वहां नहीं था, जबिक भावसिंह (अ०सा0—2) का कहना है कि वह खेती का सामान लेकर टैक्टर से पहुचा था जिससे घटना स्थल पर घटना के समय भाव सिंह (अ०सा0—2) था अथवा नहीं, इस संबंध में विरोधाभास देखा जा सकता है कि परन्तु उक्त विरोधाभास तात्विक नहीं है क्योंकि भाव सिंह (अ०सा0—2) का स्वयं का यह कहना है कि वह दूर से घटना देख रहा था तथा उसने दूर से ही आरोपीगण को हिर की मारपीट करते हुये देखा था और घटना के समय वह फिर्यादी के साथ काम नहीं कर रहा था। अतः यह संभव है कि घटना दूरी से देखने के कारण फिर्यादी को यह जानकारी ही न हो कि मौके पर कौन—कौन उपस्थित था। अतः उक्त विरोधाभास मात्र से भावसिंह (अ०सा0—2) की घटना स्थल पर उपस्थित संदिग्ध नहीं मानी जा सकती है।
- 11— घटना के अन्य साक्षी खिलन रजक (अ०सा०—1) ने अपने कथनों में अभियोजन का लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया तथा घटना जानकारी होने से ही इन्कार किया है, जिससे इस साक्षी के कथनों से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं

होता है। यह उल्लेखनीय है कि खिलन रजक (अ०सा0-1) के अभियोजन को समर्थन न करने से अभियोजन की शेष साक्ष्य को अविश्वसनीय नही माना जा सकता है। विधि इस संबंध में स्पष्ट है कि किसी भी घटना के संबंध में साक्षियों की संख्या की अपेक्षा साक्ष्य की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है।

- 12— वर्तमान प्रकरण में अभियुक्तगण तथा सुखदेव पूरन आदि के मध्य जमीनी विवाद को लेकर पूर्व की रंजिश होना स्थापित है तथा जिस जमीन को लेकर विवाद था, उसी पर फरियादी हरि (अ०सा0—3) सुखदेव आदि के लिये घटना दिनांक को कृषि कार्य करना अपने कथनों में बताता है। अभियुक्तगण की ओर से दिनांक 25.06.2012 को दर्ज कराई गई रिपार्ट के अभियागपत्र की सत्यप्रतिलिपि प्रकरण में संलग्न की है जबिक इस प्रकरण की घटना दिनांक 22.06.2012 की है। जो कि उस घटना के पूर्व की है। चन्द्रभान (ब0सा0–1) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-3 में स्वयं यह स्वीकार करता है कि दिनांक 25.06.2012 के विवाद से दो-तीन दिन पूर्व वह विवादित भूमि पर जुताई का कार्य करने गया था, वही साथ ही वह उस भूमि पर सुखदेव का कब्जा भी स्वीकार करता है। अतः उपरोक्त साक्ष्य घटना रथल पर अभियुक्तगण की उपस्थिति एवं विवाद करने का कारण प्रमाणित होता है, क्योंकि यदि सुखदेव का भूमि पर कब्जा था और हरि सुखदेव के लिये कृषि कार्य कर रहा था, तो अभियुक्तगण का जुताई के लिये भूमि पर जाना फरियादी के द्वारा बताई गई घटना को विश्वसनीय बनाता है, जिसकी पुष्टि भावसिंह (अ०सा०-2) ने अपने कथनों में की है।
- 13— हरि सिंह (अ0सा0—3) का अपने कथनों में स्पष्ट कहना है कि अभियक्तगण ने उसके साथ थप्पड से मारपीट की थी तथा नथन ने उसे दांतों से काट लिया था, जिसमें उसके गाल पर मुंदी चोट आई थी तथा दांतों की भी चोट थीं एवं पैरों पर भागने के कारण मोच की चोट थी। उक्त आरोंपीगण के द्वारा की गई मारपीट की पृष्टि भावसिंह (अ०सा0-2) ने अपने कथनों में की है भले ही उसने प्रत्येक अभियुक्त का घटना में किया गया कृत्य स्पष्ट नही किया। चिकित्सीय साक्षी प्रशांत दुबे (अ0सा0–5) ने इस बात की पृष्टि की है कि उक्त दिनांक को ही किये गये चिकित्सीय परीक्षण में उसने फरियादी के बाये पैर के पंजे पर सूजन पाई थी तथा दाहिने कंधे के पीछे दांतों के काटने की चोट पाई थीं। जो कि मानव दांत की थी और स्पष्ट दिखाई दे रही थी। डॉक्टर प्रशांत दुबे (अ०सा०-5) ने अपनी मौखिक साक्ष्य से प्रदर्श-पी 12 के चिकित्सीय प्रतिवेदन को प्रमाणित किया है।
- 14— डॉक्टर प्रशांत दुबें (अ0सा0—5) की साक्ष्य से इस बात की पुष्टि होती है कि ध

ाटना के बाद फरियादी के चिकित्सीय परीक्षण में उसके बाये कंधे के पीछे मानव दांत से काटने की चोट थी तथा बाये पैर के पंजे में सूजन थीं, जो फरियादी हिर सिंह (अ0सा0—3) के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की गई साक्ष्य को जो कि घटना के संबंध में अखण्डित है, विश्वसनीय बनाने के लिये पर्याप्त है जिससे स्पष्ट होता है कि घटना दिनांक को अभियुक्तगण ने जमीनी विवाद पर से एक राय होकर फरियादी हिर सिंह (अ0सा0—3) को उपहित करने का सामान्य निर्मित किया और उक्त आशय के अग्रसरण में फरियादी के साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की। आर0 एल0 वर्मा (अ0सा0—4) ने अपनी मौखिक साक्ष्य से प्रकरण में किये गये अनुसंधान को प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष की ओर से अनुसंधानकर्ता अधिकारी की कार्यवाही को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी गई कि अदम चैक में दिनांक लिखने में काट छांट हैं, जिसे आर0 एल0 वर्मा (अ0सा0—4) ने स्वीकार भी किया है, परन्तु प्रदर्श—पी 3 पर शेष दिनांक से स्पष्ट है कि जिससे मात्र उक्त काट छांट के आधार पर आर0 एल0 वर्मा (अ0सा0—4) के द्वारा की गई कार्यवाही को दूषित नही माना जा सकता है।

- 15— यह उल्लेखनीय है कि फरियादी ने अपने मुख्यपरीक्षण में नथन के द्वारा दांतों से काटना बताया है जबकि अभियोजन कहानी के अनुसार चंद्रभान नें उसे दांतों से काटा था, उक्त स्थिति फरियादी ने अपने प्रतिपरीक्षण में अभियुक्त चंद्रभान की पहचान करते हुये स्पष्ट किया है कि जिससे स्पष्ट होता है कि नाम की भूल के कारण उसने नथन का नाम बताया है, जबकि दांतों से काटने की चोट उसके अनुसार चंद्रभान के द्वारा कारित की गई थीं। फरियादी के शरीर पर अन्य कोई जाहिर चोट नही है, जो मारपीट दर्शाती हो,जबिक इस संबंध में हिर (अ०सा0—3) व भाव सिंह (अ०सा0—2) की साक्ष्य अखण्डित है। जिसके संबंध में यह उल्लेखनीय है कि साधारण उपहित के लिये यह आवश्यक नहीं है कि कोई जाहिर चोट हो, मात्र किसी व्यक्ति के शरीर को दर्द पहुचाना भी साधारण उपहित के श्रेणी में आता है।
- 16— फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि दिनांक 21.06.2012 को शाम 07:00 बजे ग्राम कुकरेटा में पूरन सिंह के खेत पर अभियुक्तगण ने फरियादी हिर को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया था और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्तगण ने फरियादी हिर के साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की थी तथा उक्त घटना में मात्र चन्द्रभान ने फरियादी को दांतों से काटकर स्वेच्छया

उपहति कारित की थी।

- 17— यहा उल्लेखनीय है कि चूंकि मानव दांत भा०द०वि० की धारा 324, 326 के तहत् ''उपकरण'' अथवा घातक आयुद्ध की श्रेणी में नही आते हैं। इस संबंध में न्यायालय को अभिमत माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायदृटांत kamla bai vs naresh [2016] 160 AIC 501 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृटांत shakeel ahmed vs state delhi [2004] 10 SCC 103 में प्रतिपादित न्यायमत पर आधारित है। अतः अभियुक्त चंद्रभान का कृत्य भा०द०वि० की धारा 324 की परिधि में न आकर भा०द०वि० की धारा 323 की परिधि में आता है।
- 18— फलतः अभियुक्तगण नथन सिंह पुत्र गोविंद सिंह लोधी, सुगर सिंह पुत्र गोविंद सिंह लोधी पर भा०दं०वि० की धारा. 323/34 के आरोप प्रमाणित होने से अभियुक्तगण नथन सिंह पुत्र गोविंद सिंह लोधी, सुगर सिंह पुत्र गोविंद सिंह लोधी, सुगर सिंह पुत्र गोविंद सिंह लोधी भा०दं०वि० की धारा 323/34 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष सिद्ध घोषित किया जाता है। अभियुक्त चन्द्रभान सिंह पुत्र गोविंद सिंह लोधी पर भा०दं०वि० की धारा 323 के आरोप प्रमाणित होने से अभियुक्त चन्द्रभान सिंह पुत्र गोविंद सिंह लोधी को भा०दं०वि० की धारा 323 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष सिद्ध घोषित किया जाता है।
- 19— अभियुक्तगण की आयु अपराध की प्रकृति, गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्तगण को आपराधिक परिवेक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है निर्णय दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थिगित किया जाता है।

निर्णय कुछ देर बाद पेश हो।

(असिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

20— दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण तथा उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनके द्वारा व्यक्त किया गया अभियुक्तगण आपराधिक प्रवृत्ति का नही है तथा अभियुक्तगण प्रकरण में नियमित उपस्थित हुआ है, फरियादी को कोई गभीर चोट नही है। इसलिये दण्ड देते समय सहानुभूति पूर्वक विचार किये जाने पर निवेदन किया।

- 21— प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अभियुक्तगण वर्ष 2012 से नियमित उपस्थित हुये है, फरियादी को मात्र साधारण सी उपहति कारित हुई है जिसके लिये अभियुक्तगण को अर्थदण्ड से दण्डित करने पर न्याय के उददेश्य की पूर्ति हो सकतीं है। अतः उपरोक्त आधार पर अभियुक्तगण नथन सिंह पुत्र गोविंद सिंह लोधी, सुगर सिंह पुत्र गोविंद सिंह लोधी को भा0दं0वि0 की धारा 323 / 34 के अपराध का दोषी पाते हुये एवं अभियुक्त चन्द्रभान सिंह पुत्र गोविंद सिंह लोधी को भा0द0वि0 की धारा 323 के दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषी पाते हुये प्रत्येक अभियुक्त को न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 500-500 रूपये (पांच-पांच सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 07-07 दिवस (सात-सात दिवस) का पुथक से कारावास भूगताया जावे।
- 22— अभियुक्तगण की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे। धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्तगण के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत मेरे बोलने पर टंकित किया गया। हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)